19/12/22 पत्रा० आचार्य श्री वकील प्रार्थी वादी उपस्थित। वहस प्रार्थनापत्र 212 RTA दुरुस्ती प्रार्थी पत्रा० को अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी सं. 1 to 4 के खिलाफ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये वादग्रस्त तामील अदालतों न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं हुए। वहस समतरफा दुरुस्ती प्रार्थना पत्र की मेढ सं. 2 की आराजी जब 250 रकबा 0.06 हे. वाले मौजा चीगोरा तह. चित्तौड़ पर प्रार्थी 1/2 हिस्से व तह. पत्थरवाड़ी 5 1/2 हिस्से के तौर पर संयुक्त खातेदार दर्ज है। खिलाफ अप्रार्थी से अप्रार्थी सं. 1 to 4 का किसी प्रकार का कोई लेन-देन सरोकार नहीं है। नाहीं अप्रार्थीगण खातेदार हैं। अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी आराजी में कब्जा दखलंदाजी करते हैं तथा निर्माण करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का प्रतिवादी कोई केस है। अदालत का सन्तुष्टान से अस्थाई तौर पर प्रार्थी को ये सही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश है कि वि.आ.ब.नं. 250 रकबा 0.06 वाले चीगोरा तह. चित्तौड़ पर प्रार्थी की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी-मकाबलत-मुदाखलत नहीं करेंगे इस संबंध में महाधि. तक अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जाता है।

पत्रा. को अगली कार्यवाही तक यथास्थिति कायम रखी जावे।

सहायक कलक्टर
चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

पत्रावली पेश हुई वकील ..... पीठासीन अधिकारी ..... पधारें हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ..... को पेश हो।